कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/रोकड़/RGHS/2021 दिनांक:26.10.2021

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

विषयः– शिक्षा विभाग में सेवारत कार्मिकों का राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में अनिवार्य रुप से पंजीकरण करवाने के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट 2021 में बिन्दु संख्या 244 पर की गई घोषणा के क्रम में संचालित राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में दिनांक 01.07.2021 से कैशलेस इनडोर/डे–केयर चिकित्सा लाभ प्रारम्भ कर दिये गये है। उल्लेखनीय है कि आरजीएचएस के अन्तर्गत समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा लाभ प्राप्त किये जाने हेतु पात्र लाभार्थी का योजना में पंजीकरण होना आवश्यक है । आरजीएचएस योजना में पंजीकरण किये बिना योजना के लाभ प्राप्त नही होंगे।

यह योजना दिनांक 01.01.2004 से पूर्व के राज्यकर्मियों पर अनिवार्य रुप से लागू है एवं दिनांक 01.01.2004 व उसके बाद नियुक्त कामिकों पर अंशदान कटौती वैकल्पिक होने के बावजूद भी राजमेडिक्लेम योजना का लाभ आरजीएचएस के माध्यम से ही कैशलेस दिये जाने के कारण उनका पंजीकरण भी आरजीएचएस के अन्तर्गत करवाया जाना अनिवार्य है।

आरजीएचएस में पंजीकरण की प्रक्रिया दिनांक 10.04.2021 से प्रारम्भ हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों, आदेशों एवं अधिसूचनाओं के बावजूद भी अधिकांश राज्य कर्मियों द्वारा अपना पंजीकरण नहीं करवाया गया है ऐसे कार्मिकों जिन्होंने RGHS में अपना पंजीकरण नहीं करवाया गया है, को दिनांक 01.11.2021 से किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य परिलाभ RGHS में दिया जाना संभव नहीं होगा। अतः आप अपने अधीनस्थ कार्मिकों को आरजीएचएस योजना में पंजीकरण हेतु निर्देशित कर शत प्रतिशत पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। विदित है कि RGHS पंजीकरण हेतु जनाधार पंजीयन संख्या/जनाधार संख्या की आवश्यकता होती है, अतः अपने अधीन समस्त कार्मिकों का जनाधार कार्ड बनवाने एवं उसके माध्यम से RGHS में दिनांक 30.10.2021 तक पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें।

इस संबध में राज्यकर्मियों को RGHS पंजीकरण में सहायता प्रदान करते हेतु जिले के समस्त कार्यालय संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग एवं कोष कार्यालय में RGHS हेल्पडेस्क स्थापित की गयी है ।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

उपनिदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/रोकड़/RGHS/2021 दिनांक:26.10.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उक्तानुसार निर्देशित करें।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
6. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर ।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
8. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर